

दिनांक - 08/06/2024 को अलग- अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 03 घटनाओं का दून पुलिस ने किया खुलासा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गैर प्रान्त उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार।

दिनांक 28/29.04.24 की रात्रि में डॉ0 मीता शुक्ला पत्नी श्री अजय शुक्ला नि0 51 इन्दर विहार, कालिदास मार्ग, कोतवाली नगर, देहरादून द्वारा थाना कोतवाली में अपने किराये के घर में हुयी सोने व चाँदी की ज्वैलरी चोरी के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, जिस आधार पर कोतवाली नगर देहरादून में मु0अ0स0 215/24 धारा 380/454 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गए निर्देशों पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा घटनास्थल व उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को चैक करते हुए मुखबिर मामूर किये गये। इसी दौरान दिनांक 30/31.05.24 की रात्रि में कोतवाली पटेल नगर क्षेत्रान्तर्गत चन्द्रबनी चोईला निकट दुर्गा मन्दिर में श्री नितिन शर्मा द्वारा उनके घर में खिड़की तोड़कर सोने की ज्वैलरी व नकद आदि चोरी करने के सम्बन्ध में कोतवाली पटेलनगर में तहरीर दी गयी, जिस सम्बन्ध में कोतवाली पटेल नगर में मु0अ0सं0 374/24 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटनास्थल के आस-पास सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर प्राप्त संधिक्त व्यक्ति के हुलिए से दोनों घटनाओं को एक व्यक्ति द्वारा ही अंजाम दिया जाना ज्ञात हुआ, जिस पर एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर चोरी की उक्त घटनाओ के अनावरण हेतु कोतवाली नगर, कोतवाली पटेल नगर और एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा जनपद व सीमावर्ती अन्य जनपदों से बन्द घरों में चोरी करने वाले पुराने चोरों की गतिविधियों के विषय में जानकारी की गयी साथ ही सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त संधिक्त व्यक्ति के फोटोग्राफ को अन्य जनपदो व राज्यों की पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि संधिक्त हुलिये से मिलता जुलता एक व्यक्ति जगादरी सदर, थाना यमुना नगर हरियाणा से पिछले साल ही चोरी के आरोप में जेल गया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा जगादरी सदर थाना से चोरी में जेल गये अभियुक्तों की जानकारी की गई तो एक अभियुक्त मुंशीराम पुत्र दीपचन्द नि0 मोहल्ला महजनान बेहट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का हुलिया देहरादून में हुयी घटनाओं में सीसीटीवी में आये संदिग्ध व्यक्ति से मेल खा रहा था, अभियुक्त मुंशीराम के संबंध में जानकारी करने पर उसके कुछ माह पूर्व जमानत पर जेल से बाहर आने तथा वर्तमान में बेहट कस्बे में न रहकर नजीरपुरा रसूलपुर कोतवाली देहात सहारनपुर में अपना घर बनाकर रहने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल एक टीम को नजीरपुरा रसूलपुर रवाना किया गया, टीम द्वारा रसूलपुर पहुँचकर गोपनीय रूप से अभियुक्त के संबंध में जानकारी करते हुए दिनांक 07/06/2024 को अभियुक्त मुंशीराम को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में उसके द्वारा कोतवाली नगर, पटेल नगर के अतिरिक्त जनवरी माह में क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में भी चोरी की घटना का अंजाम दिया जाना बताया गया, जिसकी निशानदेही पर उसके घर से उक्त तीनों घटनाओं से संबंधित चोरी की ज्वैलरी बरामद की गई।

पूछताछ के विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पहले बेहट कस्बे मे रहता था परन्तु पिछले 4-5 सालों से अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अम्बिका विहार कालोनी, कोतवाली देहात क्षेत्र मे रह रहा है, अभियुक्त नशे तथा जुए का आदि है तथा अपने अय्याशी के शौकों को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त द्वारा अकेले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, किसी घटना को अंजाम देने के लिए अभियुक्त अकेले ही रात्रि मे सहारनपुर से बस या ट्रेन में बैठकर उस शहर/जगह पर पहुँचता है, जहां उसे घटना करनी होती है, वहां पहुँचकर रात्रि में गलियों में घूमते फिरते ऐसे मकान को चिन्हित करता है, जिसमे ताला लगा हो तथा मौका देखकर दीवार या गेट से फाँद कर उस मकान की ताले की कुंडी को प्लास से तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है।

अभियुक्त द्वारा देहरादून में भी इसी प्रकार जनवरी माह में नई बस्ती क्लेमेन्टाउन में रात्री के समय एक घर में, अप्रैल माह के अंत में कालिदास रोड मे एक बन्द घर मे तथा कुछ दिन पूर्व 30/31.05.24 की रात में चन्द्रबदनी पटेलनगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमे अभियुक्त को काफी सोने चाँदी की ज्वैलरी मिली थी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में सहारनपुर, यमुना नगर जगादरी, अम्बाला, चण्डीगढ़ व अन्य स्थानों में भी चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमे अभियुक्त जेल जा चुका है, वर्ष 2023 में हरियाणा पुलिस ने अभियुक्त को यमुनानगर में चोरी के मामले में जेल भेजा था, जिसमें अभियुक्त लगभग 6 माह जेल में रहने के बाद सितंबर 2023 में जमानत पर बाहर आया था।

नाम पता अभियुक्त-

मुंशीराम उर्फ सोनू पुत्र दीपचन्द निवासी अम्बिका विहार कालोनी नाजिरपुरा बेहट रोड, थाना कोतवाली देहात, जनपद -सहारनपुर, मूल पता मोहल्ला महाजनान, कस्बा बेहट, जिला सहारनपुर,, उम्र 38 वर्ष-

बरामद माल-

1-मु0अ0सं0- 05/24 धारा 380/457 भादवि थाना क्लेमेन्टाउन से सम्बन्धित-

- 1- एक जोड़ी कान के झुमकेनुमा टाप्स
- 2- एक जोड़ी पाजेब

2-मु0अ0सं0 374/24 धारा 380/457 भादवि कोतवाली पटेलनगर से सम्बन्धित-

- 1- दो कडे
- 2- एक चेन
- 3- एक नेकलेस
- 4- एक जोड़ी टाप्स
- 5- एक डिजाइनदार अंगूठी,
- 6- एक मंगलसूत्र
- 7- एक जोड़ी पाजेब

3-मु0अ0सं0 215/24 धारा 380/457 भादवि कोतवाली नगर से सम्बन्धित-

- 1- एक गले का नेकलेस
- 2- एक कडा
- 3- दो चैन
- 4- एक मंगल सूत्र
- 5- एक अंगूठी
- 6- दो जोड़ी टाप्स बडे
- 7- एक जोड़ी कान के टाप्स छोटे
- 8- दो कटोरी
- 9- एक छोटे गिलास

10- 05 लक्ष्मी गणेश के सिक्के
(बरामद ज्वैलरी की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपये)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

- 1- मु0अ0सं0- 05/24 धारा 380/457 भादवि थाना क्लेमेन्टाउन
- 2- मु0अ0सं0 374/24 धारा 380/457 भादवि कोतवाली पटेलनगर
- 3- मु0अ0सं0 215/24 धारा 380/457 भादवि कोतवाली नगर
- 4- मु0अ0सं0 42/23 धारा 380/457/436/511 भादवि, थाना जगादरी सदर, यमुनानगर, हरियाणा
- 5- मु0अ0सं0 41/23 धारा 380/457/411 भादवि, थाना जगादरी सदर, यमुनानगर, हरियाणा

(अभियुक्त द्वारा अन्य राज्यों में भी चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है।)

पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक कैलाश चन्द भट्ट, प्रभारी कोतवाली नगर
- 2- व0उ0नि0 प्रदीप सिंह रावत, कोतवाली नगर
- 3-उ0नि0 लोकेन्द्र बहुगुणा एस0ओ0जी0
- 4-उ0नि0 आशीष रावत, प्रभारी चौकी लक्खीबाग कोतवाली नगर
- 5-उ0नि0 आशीष कुमार, प्रभारी चौकी धारा कोतवाली नगर
- 6-उ0नि0 धनीराम पुरोहित, कोतवाली पटेलनगर
- 7-हे0कानि0 मनोज कुमार, कोतवाली पटेल नगर
- 8-हे0कानि0 किरन एस0ओ0जी0
- 9- कानि0 अनोज राणा, कोतवाली नगर
- 10-कानि0 धीरेन्द्र पतियाल, कोतवाली नगर
- 11-कानि0 विनोद, कोतवाली नगर
- 12-कानि0 अरशद, कोतवाली पटेल नगर
- 13-कानि0 सूरज, कोतवाली पटेल नगर
- 14-कानि0 संदीप, कोतवाली पटेल नगर
- 15-कानि0 आबिद, कोतवाली पटेल नगर
- 16-कानि0 आशीष शर्मा, एस0ओ0जी0
- 17-कानि0 पंकज, एस0ओ0जी0
- 18-कानि0 लोकेन्द्र उनियाल, एस0ओ0जी0

